भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3824

उत्तर देने की तारीख: 18.12.2024

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

3824. श्री के. राधाकृष्णन:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक छात्रों को प्रदान की गई मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कक्षा एक से आठ तक में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियों को बंद करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध व्यापक आपत्ति पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का आठवीं कक्षा तक के मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति को बंद करने के निर्णय को वापस लेने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रिजिजू)

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक छात्रों को प्रदान की गई मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
2019-20	55,68,025
2020-21	52,40,000
2021-22	57,42,627
2022-23	3,18,576
2023-24	योजना को 2021-22 से आगे मंजूरी नहीं दी गई है।

स्रोत- एनएसपी-एनआईसी डेटाबेस।

(ख) से (घ): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें विभिन्न शैक्षिक सशक्तीकरण योजनाएं जैसे (i) मैट्रिक-पूर्व, (ii) मैट्रिकोत्तर (iii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्तियां शामिल हैं। शिक्षा का अधिकार (RTE)

अधिनियम, 2009 सरकार के लिए प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8 तक) प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। तदनुसार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय की मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत केवल कक्षा IX और X में पढ़ने वाले छात्र ही शामिल किए जाते हैं। इसी तरह 2022-23 से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत कवरेज भी केवल कक्षा IX और X के लिए कर दिया गया है।

(ङ): धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग को रोकने एवं पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए इस मंत्रालय ने 2022-23 के लिए सभी आवेदकों और सत्यापन अधिकारियों का आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया। डीबीटी मोड के तहत लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के संवितरण के लिए आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम भी लागू किया गया है।

*****